their social and developmental needs; it is the developed countries which should take the lead in combating climate change and adverse effects thereof, since the global environmental problems being now faced are largely of their making. India also took the lead in the setting up of a group to discuss enhanced commitments by developed countries.

The Indian delegation successfully opposed the German proposal bracketing India with the developed countries in limiting Green House Gas emissions.

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को सुविधाएं दिया जाना

*212. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फल प्रसंस्करण उद्योगों को कुटीर उद्योगों के रूप में चला रहे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या इनमें और वृद्धि करने के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) से (ग) लघु तथा कुटीर फल और सब्जी प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रत्साहित तथा लैस करने की दृष्टि से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक स्कीम चला रहा है। जिसमें स्वैच्छिक संगठनों समेत उन संगठनों को सहायता दी जाती है जो लघु तथा कुटीर खाद्य प्रसंस्करण एककों विशेष रूप से फल तथा सब्जी प्रसंस्करण एककों की स्थापना के इच्छुक उद्यमियों के प्रशिक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/उन्हें चलाने के इच्छुक हैं। ऐसे उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बच्चों का विकास आदि जैसी सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध है। खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ऐसी लघु तथा कुटीर एककों के उत्पादों के विपणन में मदद करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी एक योजना स्कीम चला रहा है जिसके तहत ऐसे लघु एककों के उत्पादों का विपणन करने वाले संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कुटीर स्तर के फल तथा सब्जी प्रसंस्करण एककों के लिए फल उत्पाद आदेश के तहत लाइसेंस शुल्क केवल 250/- रु. प्रति वर्ष है, जबकि बड़े एककों के लिए 1500 रु. है। अच्छे किस्म का उत्पादन करने के लिए लघु तथा कुटीर एककों को फल तथा सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय के अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

Revision of Pay Scales of Draftsmen in Railways

*213. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether his Ministry has received any representations from the Trade Unions with regard to revision of pay scales of Draftsmen Grade I to III working in Railways;

(b) if so, what action has been initiated by the Ministry to implement the same;

(c) whether it is a fact that with reference to an arbitration in the case of CPWD, the Ministry of Finance has issued instructions that the Draftsmen Gr. I, II and III working in Offices/ Departments of Government of India other than in CPWD be given revision in pay to the Draftsmen Grade referred to above; and

(d) if so, the reasons for which the same has not been implemented in Railways?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) Yes, Sir.

(b) This Ministry has taken a decision not to revise the pay scales of Draftsmen.

(c) Yes, Sir.

(d) Draftsmen on the Railways already have better pay scales and prospects of promotion.

फलों और सब्जियों का उत्पादन और बर्बादी

*214. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष फलों और सब्जियों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक फलों और सब्जियों के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्करण की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण कितने फल और सब्जियां खराब हो गईं;

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की राज्यवार अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान अधिष्ठापित क्षमता का वर्षवार कितने प्रतिशत वास्तव में उपयोग किया गया; और

(च) उक्त अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) से (च) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में फल और सब्जियों का निम्नलिखित उत्पादन हुआ:

(उत्पादन लाख टन में)

वर्ष	फल	सब्जियां
1991-92	320.6	665.8
1992-93	328.9	715.7
1993-94 (अनुमानित)	350.0	720.00

8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 38 मिलियन टन फल और 92 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी तरह फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापित क्षमता तथा प्रसंस्कृत फल और सब्जियों के लिए लगभग 20 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 40 लाख टन फल और सब्जियों का प्रसंस्करण करने की क्षमता है।

फल और सब्जियों के अपव्यय का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन अनुमान है कि पर्याप्त फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में और उत्पाद के जल्दी खराब हो जाने के कारण कतिपय फल और सब्जियों की गुणवत्ता और मूल्य में लगभग 25 से 30 प्रतिशत की कमी आती है।

देश में स्थित फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की वर्ष 1994 के अंत में राज्य-वार स्थापित क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

वर्ष 1992, 1993, 1994 के दौरान फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापित क्षमता का क्रमशः 42.33%, 44.36% और 48.22% उपयोग किया गया।

फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए सरकार फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की स्थापना और फल तथा सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें लागू कर रही है। उदारीकरण, संवर्धन उपायों और वित्तीय राहतों से भी यूनिटों की स्थापित क्षमता और संख्या में वृद्धि हुई है। फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाली यूनिटों की संख्या भी जोकि 1991 के अंत में 3332 थी 1994 के अंत में 3607 हो गई है। इस अवधि के दौरान 21 निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना की गई और 17 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों को कार्यान्वित किया गया है और धूप और सुखाए गए तथा तले गए उत्पादों को छोड़कर वाणिज्यिक रूप से प्रसंस्कृत अन्य फल और सब्जी उत्पादों का उत्पादन जो कि 1991 में 3.6 लाख टन था 1994 में बढ़कर 6.76 लाख टन हो गया है।

विवरण

देश में फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की 1994 के अन्त में राज्यवार स्थापित क्षमता

राज्य का नाम	क्षमता (मी. टन में)
आन्ध्र प्रदेश	205540
अरुणाचल प्रदेश	350
असम	690
बिहार	29100
गोआ	3850
गुजरात	108770
हरियाणा	48340
हिमाचल प्रदेश	7510
जम्मू एवं कश्मीर	5540
कर्नाटक	208080
केरल	52730
मध्य प्रदेश	26800
महाराष्ट्र	246930
मणिपुर	900
मेघालय	440
मिजोरम	100
नागालैंड	550
उड़ीसा	1750
पंजाब	48200
राजस्थान	6520
सिक्किम	1600
तमिलनाडु	183470
त्रिपुरा	1510
उत्तर प्रदेश	132040
प. बंगाल	45560
आन्ध्र प्रदेश	205540

राज्य का नाम	क्षमता (मी. टन में)
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	300
चंडीगढ़	8520
दादर तथा नगर हवेली	2100
दमन एवं दीयु	280
दिल्ली	23700
लक्षद्वीप	150
पांडिचेरी	240
कुल	1402160

Revision of Grades of Indian Railways Promotee Officers

*215. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Indian Railways Promotee Officers Federation have urged Government to implement the orders of the Supreme Court and the Central Administrative Tribunal (CAT) regarding the revision of grades;

(b) whether Government propose to implement these orders of the Apex Court and the Tribunal; and

(c) if so, the likely time to be taken for implementing them?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) to (c) No communication has been received from the Indian Railway Promotee Officers Federation. However, the petitioners have filed a contempt petition for implementing the orders of the Central Administrative Tribunal/New Delhi. Necessary action for complying with the directions of the Central Administrative Tribunal/ New Delhi is being taken in consultation with the nodal Ministry, namely Ministry of Finance.

Environmental hazards in Lakhpat Taluka of Kutch, Gujarat

*216. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a big Cement Project of Sanghi Company is causing environmental hazards near Narayan Sarovar in Lakhpat Taluka of Kutch district of Gujarat;

(b) what are the counter-measures taken by Government against the environmental hazards; and

(c) the details about the hazards and counter-measures?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The proposed Unit of M/s. Sanghi Industries Limited has not yet been commissioned.

(b) and (c) The main hazard that could be posed from the cement plant would be the emissions of particulates. The Unit has been directed to install appropriate pollution control equipment to effectively control the particulate emissions within the strict standards prescribed. It has also been stipulated that the plant would automatically trip should the emissions go beyond these standards.

Composition of rapid action force

*217. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the total strength of the RAF (Rapid Action Force) and how many battalions have been established so far and their places of location;

(b) what is the percentage of representations given to religious minorities and SC/ ST in the RAF while recruiting;

(c) whether it is a fact that one of the basic objectives of the RAF is to have a mixed force and more representation is to be given to minorities and SC/ST; and

(d) if so, how far this objective has been attained?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN):

(a) The Rapid Action Force comprises 10 Bns. having a total sanctioned stgrength of 13,180. The RAF Bns. are presently located at